भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1756
सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

उत्तराखंड को वित्तीय सहायता

1756. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मजदूरों के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत उत्तराखंड को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार, योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं से लाभान्वित मजदूरों की वर्ष-वार, जिले-वार और योजना-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य-सरकारों ने मजदूरों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता के माध्यम से, उनके प्रयासों में सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस परियोजना में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए रोजगार संबंधी विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार कार्यालय तथा प्रतिष्ठित संस्थानों में आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करना शामिल है। यह योजना राज्यों को आईटी के उन्नयन एवं रोजगार कार्यालयों के मामूली नवीनीकरण तथा रोजगार मेलों के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करती है। राज्यों को निधियां एनसीएस के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आदर्श करियर केन्द्रों की स्थापना करने एवं रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के प्रति जारी की जाती है। उत्तराखंड को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(रु. लाख में)

परियोजना/योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 तक 31 जनवरी, 2020
राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) इंटरलिंकिंग आदर्श करियर केंद्र (एमसीसी)	85.86	10.00	22.94	--

एनसीएस श्रमिकों के मामलों को नहीं देखती है। फिर भी; एनसीएस रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं को रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराती है।

*****